प्रकरण संख्या 20/2016 वरदीचन्द बनाम भैरूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक अस्थाई निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा नारायणपुरा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कुल किता 11 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में नन्दा, धनराज पिता लालू डांगी साकिन देह के नाम पर दर्ज है। पक्षकारान नन्दा व धनराज के वारिस होकर संयुक्त उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी विपक्षीगण मौके पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। अतः उन्हें ताफैसला मूलवाद अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदे''ा प्रदान किया जावे। विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लाक अदालत में रख कर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2016 से मूलवाद का निस्तारण हो जाने के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ड्रोप कर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.06.2016 से रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.08.2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री देवद''ान देवपुरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।	

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदे"िका के अवलोकन से प्रकट आया कि प्रकरण बहस हेतु नियत था एवं दिनांक 25.04.2016 को दिनांक 04.07.2016 की पे"ाी दी गयी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 16.06.2016 को ही प्रकरण में बिना बहस सुने निर्णय पारित कर दिया, जबकि प्रकरण में सिर्फ पी.डी. जारी हुई है, अंतिम डिक्री अभी जारी नहीं हुई है। इसलिए किस पक्षकार के हिस्से में कौन सी भूमि आयेगी, इसका अभी अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाइ का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.11.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 20/2016 वरदीचन्द बनाम भैरूलाल

प्रकरण संख्या 20/2016 वरदीचन्द बनाम भैरूलाल